

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

सं. 77/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 637(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 770(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैरा में, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सी बी ई सी-20/06/09/2019-जी एस टी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या 47/2019 – केन्द्रीय कर दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को सा.का.नि. 770(अ), दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

No. 77/2020 – Central Tax

G.S.R. 637(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue), No. 47/2019 – Central Tax dated the 9th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 770(E), dated the 9th October, 2019, namely: -

In the said notification in the opening paragraph, for the words and figures “financial years 2017-18 and 2018-19”, the words and figures “financial years 2017-18, 2018-19 and 2019-20” shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 47/2019 – Central Tax, dated the 9th October, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 770(E), dated the 9th October, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2020

सं. 78/2020- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 638(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, अधिसूचना केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 660 (अ), तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार